

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 10, शुक्रवार, शके 1947- अगस्त 01, 2025 <i>Sravana 10, Friday, Saka 1947- August 01, 2025</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगर नियोजन विभाग,

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 01, 2025

संख्या टीपीआर:1120/जेजेड/नीमकाथाना :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत नीमकाथाना (जिला-सीकर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2047 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं:-

नीमकाथाना नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची			
क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	चला की ढाणी	16.	चक चारावास
2.	महावा	17.	गोडावास
3.	भराला	18.	केरवाली
4.	नीमोद	19.	मण्डोली
5.	खादरा	20.	गोरधनपुरा
6.	मानपुरा	21.	राणासर
7.	जगतसिंहनगर	22.	नयाबास
8.	बल्लभदासपुरा	23.	सिरोही
9.	हीरानगर	24.	चरणसिंहनगर
10.	नीमकाथाना	25.	खुडालिया
11.	बणियाला	26.	तेतरवालो का बास
12.	मालनगर	27.	भूदोली
13.	कुरबडा	28.	बरसिंहबास
14.	आगवाडी	29.	गणेश्वर
15.	राजनगर	30.	गांवड़ी

नीमकाथाना मास्टर प्लान (प्रारूप) के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस में कोई भी व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति /सुझाव कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर, नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर-302004/जिला नगर नियोजक,

सीकर/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नीमकाथाना में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप का दिनांक 01.08.2025 से 30.08.2025 तक उपरोक्त समयावधि में प्रदर्शनी स्थल कार्यालय नगर पालिका, नीमकाथाना (जिला-सीकर) में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान (प्रारूप)-2047 से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र उपरोक्त अवधि में नगर पालिका, नीमकाथाना से क्रय की जा सकती है। प्रारूप मास्टर प्लान की प्रति नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/townplanning> पर भी उपलब्ध है।

नितिन नेहरा,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर जोन, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।